

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर  
ई-मेल:adpension.sje@rajasthan.gov.in दूरभाष: 0141- 2740637

क्रमांक: एफ 09 (05)(12-11) सासुपे नियम/सान्धारिता/2014-15/8542

जयपुर दिनांक : 05-06-24

### आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन नियम 2024 निम्नानुसार जारी किए जाते हैं:-

(विद्यमान प्रावधान)	(नवीन प्रावधान)
<p><u>अध्याय 1</u></p> <p><b>नियम-2. परिभाषाएं</b></p> <p>(i) सामाजिक सुरक्षा पेंशन से अभिप्रेत है वृद्धावस्था/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन जो इन नियमों के अधीन किसी पेंशनर को स्वीकृत की जायें।</p> <p>(ii) “मूल निवासी” से अभिप्रेत है जो राजस्थान का मूल निवासी हो एवं राजस्थान में निवास कर रहा हो।</p> <p>(iii) “आय” से अभिप्रेत है कि प्रार्थी के जीवन निर्वाह हेतु स्वयं के नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो।</p>	<p><u>अध्याय 1</u></p> <p><b>नियम-2. परिभाषाएं</b></p> <p>(i) “मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना” से अभिप्रेत इन नियमों के तहत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना से है तथा “मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना” से अभिप्रेत इन नियमों के तहत संचालित विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं को देय पेंशन योजना से है।</p> <p>(ii) “मूल निवासी” से अभिप्रेत है जो राजस्थान का मूल निवासी हो एवं राजस्थान में निवास कर रहा हो।</p> <p>(iii) “आय” से अभिप्रेत है कि प्रार्थी के जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी/पति की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो अथवा प्रार्थी एवं पत्नी/पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपए 48,000/- से कम हो जब तक कि नियमों में अन्यथा स्पष्ट व विशिष्ट प्रावधान न हो।</p> <p>नियमों में निर्धारित आय संबंधी घोषणा आवेदन प्रपत्र में ही सम्मिलित की जायेगी जिसमें आवेदक के द्वारा (नियमों में निर्धारित समस्त स्त्रोतों से स्वयं एवं पत्नी/पति की कुल वार्षिक आय रूपये 48,000/- से कम है अथवा अधिक है, का हां अथवा नहीं में जवाब प्रस्तुत करना होगा तथा बायोमैट्रिक आधार पर प्रस्तुत आवक्षणिक में समाहित घोषणा को ही आय प्रमाण पत्र</p>

(iv) "पेंशन राशि" से अभिप्रेत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत स्वीकृत मासिक भुगतान राशि से है जो निम्नानुसार है:-

1. 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रु. 750/- प्रतिमाह
2. 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रु. 1000/- प्रतिमाह

के रूप में मान्य माना जायेगा।

(iv) "पेंशन राशि" से अभिप्रेत सरकार द्वारा योजनावार प्रतिमाह देय राशि से है जिसके बारे में समय समय पर सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हो। (परिपत्र क्रमांक फ.9(5)(12-II)सासुपे नियम/सान्यअवि/2021-22/7085 दिनांक 14.03.24)

#### वृद्धावस्था पेंशन

1. 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रु. 1150/- प्रतिमाह
2. 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रु. 1150/- प्रतिमाह

#### विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा/एकल नारी पेंशन

1. 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रु. 1150/- प्रतिमाह
2. 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रु. 1500/- प्रतिमाह

पेंशन राशि व पेंशन राशि में वृद्धि से अभिप्रेरित है— राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, 2023 के अध्याय-4 (7)(2) में उल्लेखित है कि संदाय पेंशन में वित्तीय वर्ष 2024-25 से आरंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आधार दर पर पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दो किस्तों में अर्थात् जुलाई में पांच प्रतिशत और जनवरी में दस प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

नई पेंशन स्वीकृति की स्थिति में पेंशन स्वीकृति की दिनांक से न्यूनतम बारह माह पूर्ण होने से पूर्व ऐसे पेंशनर्स को पेंशन राशि में वृद्धि अनुमत नहीं है।

परन्तु यदि प्रार्थी राजस्थान सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/स्थानीय निधि या किसी कानूनी निकाय, निगम, प्राइवेट निकाय/संस्था या अन्य स्त्रोत से पेंशन, निर्वाह भत्ता या अन्य कोई लाभ प्राप्त कर रहा हो तो वह उक्त वर्णित पेंशन या पूर्व में प्राप्त लाभ में से जो भी लाभदायक हो, पाने का अधिकारी होगा।

(v) "स्वीकृतिकर्ता अधिकारी" ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनों के लिए

(v) "जांच अधिकारी" ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनों के लिए संबंधित तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार तथा शहरी क्षेत्र के आवेदनों के लिए संबंधित नगर निकाय में पदस्थापित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी जांच अधिकारी होंगे।

(vi) "स्वीकृतिकर्ता अधिकारी" ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन हेतु संबंधित विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के आवेदन हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी अभिप्रेत है।

(vii) "स्वीकृतिकर्ता अधिकारी" ग्रामीण क्षेत्र में विकास

7722150

<p>अधिकारी की अध्यक्षता में समिति</p> <p>(viii) "स्वीकृतिकर्ता अधिकारी" शहरी क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समिति</p> <p>(ix) "पेंशन आहरण एवं वितरण अधिकारी" से सम्बन्धित कोष /उप कोष कार्यालय के कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी (पेंशन भुगतान अधिकारी)/उप कोषाधिकारी (सहायक पेंशन भुगतान अधिकारी)/अभिप्रेत है।</p> <p>(x) "जिला पेंशन स्वीकृति एवं वितरण अधिकारी" से सम्बन्धित जिले का जिला कलेक्टर अभिप्रेत है।</p> <p>(xi) "अपील अधिकारी" से अभिप्रेत है जिला कलक्टर या उनका प्रतिनिधि जो अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहरी क्षेत्र के लिए) /मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) से कम स्तर का नहीं हो।</p>	<p>संबंधित तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार तथा शहरी क्षेत्र के आवेदनों के लिए संबंधित नगर निकाय में पदस्थापित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी जांच अधिकारी होंगे।</p> <p>(vi) "स्वीकृतिकर्ता अधिकारी" ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन हेतु संबंधित विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के आवेदन हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी अभिप्रेत है।</p> <p>(vii &amp; viii) "ऑनलाइन स्वीकृति" ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाने वाले जनआधार पोर्टल पर परिवार के विभिन्न सदस्यों के सत्यापित मेटा डेटा के आधार पर पेंशन योजना के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा एवं भविष्य में जनआधार पोर्टल पर संशोधन के उपरान्त पेंशन पोर्टल पर डाटा स्वतः ही अपडेट होगा। पेंशन पोर्टल पर आवेदक द्वारा सीधे ही किसी प्रकार का अपडेशन नहीं किया जाएगा।</p> <p>(ix) "पेंशन आहरण एवं वितरण अधिकारी" से तात्पर्य निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर में पदस्थापित अतिरिक्त निदेशक (पेंशन एवं पन्नाधाय) अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर के अन्य प्राधिकारी से है।</p> <p>(x) "जिला पेंशन स्वीकृति अधिकारी" से सम्बन्धित जिले का जिला कलक्टर अभिप्रेत है।</p> <p>(xi) "अपील अधिकारी" से अभिप्रेत है जिला कलक्टर या उनका प्रतिनिधि जो अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहरी क्षेत्र के लिए) /मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) से कम स्तर का नहीं हो।</p> <p>(xii) "पेंशन पोर्टल" से अभिप्रेत विभाग द्वारा संचालित किए जाने वाला ऑनलाइन पोर्टल 7722150</p>
--	---

(<http://SSP.Rajasthan.gov.in>) से है।

(xiii) “मेटा डेटा” से अभिप्रेत राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाने वाले जनआधार पोर्टल पर परिवार के विभिन्न सदस्यों के सत्यापित डेटा से है जिसके आधार पर पेंशन योजना के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा एवं भविष्य में जनआधार पोर्टल पर संशोधन के उपरान्त पेंशन पोर्टल पर डाटा स्वतः ही अपडेट होगा। पेंशन पोर्टल पर आवेदक द्वारा सीधे ही किसी प्रकार का अपडेशन नहीं किया जाएगा।

(xiv) “ई-मित्र कियोस्क” से अभिप्रेत राज्य सरकार के माध्यम से संचालित किए जाने वाले कॉमन सर्विस सेन्टर है जिनके माध्यम से पेंशन योजनाओं के आवेदक निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं तथा अन्य सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।

(xv) “एसएसओ आईडी” से अभिप्रेत राज्य सरकार द्वारा संचालित एसएसओ पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर आईडी बना कर राज्य सरकार द्वारा अनुमत होने पर उसके माध्यम से पेंशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से है।

(xvi) “जनआधार क्रमांक” से अभिप्रेत जनआधार पोर्टल पर परिवार के पंजीकरण के उपरान्त जारी किए जाने वाले परिवार के क्रमांक से है। इसके माध्यम से पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

(xvii) “आधार क्रमांक” से अभिप्रेत भारत सरकार के माध्यम से जारी किए जाने वाले व्यक्तिगत क्रमांक से है। इसके माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन के उपरान्त ही पेंशन योजनाओं के लिए किसी आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(xviii) “ऑफलाइन ऑडिट” से अभिप्रेत उस प्रक्रिया से है

	<p>जिसमें ऑनलाइन प्राप्त स्वतः स्वीकृत आवेदन पत्रों में से कुछ आवेदन पत्रों को संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को प्रदर्शित किया जाएगा, उनके द्वारा ऐसे आवेदकों की जांच कर यह सत्यापित करना होगा कि आवेदक का जनआधार पोर्टल से प्राप्त विवरण सही है अथवा नहीं। यदि वह विवरण सही नहीं है और आवेदक पेंशन का पात्र नहीं है तो ऐसे आवेदन पत्रों को संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त किया जाकर नियमानुसार भुगतान की गई राशि की वसूली की कार्यवाही करनी होगी। (परिपत्र क्रमांक प. 9(5)(12-II)सासुपे नियम/सान्यावि/2021-22/64 दिनांक 29.7.22)</p> <p>(xix) “स्वतः स्वीकृति (Auto Approval)” से तात्पर्य ऐसे समस्त आवेदक जिनके द्वारा 2 अक्टूबर, 2021 के पश्चात् जनआधार पोर्टल पर आयु, बैंक विवरण आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करवाया गया है उनके आवेदन पत्रों को स्वतः स्वीकृत किया जाएगा।(परिपत्र क्रमांक प.9(5)(12-II)सासुपे नियम/सान्यावि/ 2021-22/ 64 दिनांक 29.7.22)</p> <p>(xix) “डीम्ड एप्रवल (Deemed Approval)” से तात्पर्य ऐसे पेंशन आवेदनों की अस्थाई स्वीकृति से है, जिनका भुगतान प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा जिनकी पेशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा 15 दिवस की अवधि में स्थाई स्वीकृति अथवा अस्वीकृति जारी की जाएगी। (परिपत्र क्रमांक प.9(5)(12-II)सासुपे नियम/सान्यावि/ 2021-22/ 64 दिनांक 29.7.22)</p>
<b>अध्याय 2</b>	<b>अध्याय 2</b>
<b>सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं हेतु पात्रता</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं हेतु पात्रता</b>
<b>नियम-3 वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता</b>	<b>नियम-3 वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता</b>
3.1 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो, अथवा स्वयं एवं पत्नी/पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपए 48,000/-	3.1 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो, अथवा स्वयं एवं पत्नी/पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय 7722150

से कम हो,

3.2 वह 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला या 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष जो किसी ऐसे परिवार का सदस्य हो, जिसका चयन ग्रामीण विकास विभाग या नगरीय शासन विभाग के अधीन किए गए सर्वेक्षण में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों – केन्द्रीय बी.पी.एल / राज्य बी.पी.एल – या अन्त्योदय परिवार में किया गया है, या

3.3 वह 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला या 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष जो 'सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति का हो या आरथा कार्ड धारी परिवार का सदस्य हो, वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्र होगा।

3.4 पात्रता के उपनियम 1 से 3 में पात्रता रखते हुए भी प्रार्थी स्वयं अथवा पति अथवा पत्नी अथवा पुत्र की केन्द्र सरकार / राजस्थान सरकार / अन्य राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में कार्रर्यरत हो अथवा उनका पेंशनर हो, तो उक्त नियमों के अन्तर्गत पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा।

रूपए 48,000/- रो कम हो,

3.2 वह 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला या 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष जो किसी ऐसे परिवार का सदस्य हो, जिसका चयन ग्रामीण विकास विभाग या नगरीय शासन विभाग के अधीन किए गए सर्वेक्षण में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों – केन्द्रीय बी.पी.एल / राज्य बी.पी.एल – या अन्त्योदय परिवार में किया गया है, या

3.3 वह 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला या 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष जो सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति का हो या आरथा कार्ड धारी परिवार का सदस्य हो, वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्र होगा।

3.4 पात्रता के उपनियम 1 से 3 में पात्रता रखते हुए भी प्रार्थी स्वयं अथवा पति अथवा पत्नी अथवा पुत्र की केन्द्र सरकार / राजस्थान सरकार / अन्य राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में कार्रर्यरत हो अथवा उनका पेंशनर हो, तो उक्त नियमों के अन्तर्गत पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा।

### अध्याय 3

#### **नियम-4 विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/एकलनारी पेंशन हेतु पात्रता**

18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला, जो राजस्थान की मूल निवासी हो और राजस्थान में रह रही हो, पेंशन की पात्र होगी, यदि:-

4.1 यह किसी ऐसे परिवार की हो, जिसका चयन ग्रामीण विकास विभाग या नगरीय शासन विभाग के अधीन किये गए सर्वेक्षण में गरीबी की सीमा रेखा से नीचे के परिवार – केन्द्रीय बी.पी.एल./ राज्य बी.पी.एल. – या अन्त्योदय परिवार में किया गया है, या

4.2 सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति की हो या आस्था कार्ड धारी परिवार की हो, या

4.3 एच.आई.वी./एड्स पॉजीटिव हो तथा राजस्थान राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसायटी में पंजीकृत हो, या

4.4 जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की समर्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपए 48,000/- से कम हो।

### अध्याय 3

#### **नियम-4 विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/एकलनारी पेंशन हेतु पात्रता**

18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला, जो राजस्थान की मूल निवासी हो और राजस्थान में रह रही हो, पेंशन की पात्र होगी, यदि :-

4.1 यह किसी ऐसे परिवार की हो, जिसका चयन ग्रामीण विकास विभाग या नगरीय शासन विभाग के अधीन किये गए सर्वेक्षण में गरीबी की सीमा रेखा से नीचे के परिवार – केन्द्रीय बी.पी.एल./ राज्य बी.पी.एल. – या अन्त्योदय परिवार में किया गया है, या

4.2 सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति की हो या आस्था कार्ड धारी परिवार की हो, या

4.3 एच.आई.वी./एड्स पॉजीटिव हो तथा राजस्थान राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसायटी में पंजीकृत हो, या

4.4 RajKaj Ref जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की समर्त स्त्रोतों 7722150

4.5 ऐसी 'आवेदक, जिनके पति सिलिकोसिस वीमारी से पीड़ित श्रमिक रहे हों, और जिन्हें सक्षम स्तर से तत्संबंधी प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो

**स्पष्टीकरण** —उक्त प्रयोजन हेतु "परित्यक्ता" से अभिप्रेत है

- (क) समस्त वैध रूप से विच्छिन्न विवाह महिलाएं जिनके पास विवाह—विच्छेद डिक्री हो
- (ख) समस्त वैध रूप से अलग हुई महिलाएं, जिनके पास न्यायालय आदेश हो,
- (ग) ऐसी समस्त महिलाएं जिने विवाह विच्छेद या दम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन चाहने के मामले न्यायालय में पांच वर्ष से अधिक समय से लम्बित हो और जिसके पास न्यायलय दस्तावेज हो।
- (घ) ऐसी मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं जिनका तलाकनामा स्वयं के शपथ—पत्र एवं स्वतन्त्र गंवाहों के आधार पर काजी अथवा धार्मिक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

"पात्रता के उपनियम 4.1 से 4.4 में पात्रता रखते हुए भी प्रार्थी स्वयं अथवा पुत्र केन्द्र सरकार / राजस्थान सरकार / अन्य राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में कार्यरत हो अथवा उनका पेंशनर हो, तो उक्त नियमों के अन्तर्गत पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा।"

#### अध्याय 4

**वृद्धावस्था एवं विधवा परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन हेतु आवेदन, स्वीकृति, सत्यापन, अपील एवं पुनरीक्षण की प्रक्रिया**

**नियम-5. आवेदन प्रस्तुत करने एवं पेंशन स्वीकृत करने की ऑन-लाइन प्रक्रिया**

(i) आवेदक को किसी भी ई—मित्र कियोर्स्क/राजीव गांधी सेवा केन्द्र या स्वयं के SSO (Single Sign On) ID के माध्यम से निर्धारित प्रारूप एसएसपी I (SSP I) में rajssp पोर्टल पर ऑन—लाइन आवेदन करना

से कुल वार्षिक आय रुपए 48,000/- से कम हो।

4.5 ऐसी आवेदक, जिनके पति सिलिकोसिस वीमारी से पीड़ित श्रमिक रहे हों, और जिन्हें सक्षम स्तर से तत्संबंधी प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो

**स्पष्टीकरण** —उक्त प्रयोजन हेतु "परित्यक्ता" से अभिप्रेत है

- (क) समस्त वैध रूप से विच्छिन्न विवाह महिलाएं जिनके पास विवाह—विच्छेद डिक्री हो
- (ख) समस्त वैध रूप से अलग हुई महिलाएं, जिनके पास न्यायालय आदेश हो,

- (ग) ऐसी समस्त महिलाएं जिने विवाह विच्छेद या दम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन चाहने के मामले न्यायालय में पांच वर्ष से अधिक समय से लम्बित हो और जिसके पास न्यायलय दस्तावेज हो।

- (घ) ऐसी मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं जिनका तलाकनामा स्वयं के शपथ—पत्र एवं स्वतन्त्र गंवाहों के आधार पर काजी अथवा धार्मिक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

"पात्रता के उपनियम 4.1 से 4.4 में पात्रता रखते हुए भी प्रार्थी स्वयं अथवा पुत्र केन्द्र सरकार / राजस्थान सरकार / अन्य राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में कार्यरत हो अथवा उनका पेंशनर हो, तो उक्त नियमों के अन्तर्गत पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा।"

#### अध्याय 4

**वृद्धावस्था एवं विधवा परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन हेतु आवेदन स्वीकृति, सत्यापन, अपील एवं पुनरीक्षण की प्रक्रिया (परिपत्र संख्या एफ.09 (05) (12-II) सासुपे नियम/सान्याअवि/ 2021-22/ 4542 दिनांक 1.10.2021; परिपत्र संख्या एफ.09 (05) (12-II) सासुपे नियम/सान्याअवि/ 2021-22/ 64 दिनांक 29.07.2021 एवं मोबाइल एप्प संबंधी परिपत्र एफ.9(5)(14)पेंशन पोर्टल/सान्याअवि/ 2021-22/ 3554 दिनांक 28.4.23)**

**नियम-5 आवेदन प्रस्तुत करने एवं पेंशन स्वीकृत करने की ऑन—लाइन प्रक्रिया**

5.1 RailKalyanRef को किसी भी ई—मित्र कियोर्स्क/राजीव

होगा। आवेदक का 'राजस्थान जन-आधार क्रमांक/राजस्थान जन-आधार पंजीकरण संख्या' एवं आधार क्रमांक को उपलब्ध कराना/भरना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में आवेदन पत्र रवीकार्य नहीं होगा। **राजस्थान जन-आधार** एवं आधार कार्ड में अंकित आवेदक का व्यक्तिगत विवरण पिंगर प्रिन्ट प्रमाणीकरण/वन टाइम पासवर्ड (OTP) के पश्चात निर्धारित पेशन आवेदन पत्र में रखतः ही अंकित हो जाएगा, इसके अतिरिक्त अन्य वांछित विवरण आवेदन पत्र में अंकित करने के पश्चात उक्त आवेदन पत्र को वेबपोर्टल के माध्यम से ऑन-लाइन प्रस्तुत (Submit) करने पर आवेदन पत्र रखतः ही सम्बन्धित जांच अधिकारी को अग्रेषित हो जाएगा। आवेदन पत्र को जांच अधिकारी को अग्रेषित किए जाने की सूचना आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड कराए गए मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. (SMS) द्वारा दी जायेगी।

(ii) विहित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा हुआ ऑन-लाइन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, जांच अधिकारी के स्तर पर रजिस्टर एस.एस.पी. II (SSP-II) के प्रारूप में रिपोर्ट ऑन-लाइन सम्बन्धित जांच अधिकारी के लॉग-इन पर प्रदर्शित होगी।

(iii) जांच अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों एवं प्रस्तुत की गई अन्य सूचनाओं के आधार पर आवेदक की जन्म तिथि, आयु, अधिवास, निवास स्थान और आय या आजीविका के स्त्रोत एवं नियमों में वर्णित अन्य पात्रता की जांच करेगा। जांच अधिकारी आवेदन पत्र की जांच एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण करने के पश्चात अपनी सिफारिश के साथ स्वीकृतकर्ता अधिकारी (सम्बन्धित विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) को वेब पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाइन प्रेषित करेगा।

(iv) राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 के तहत जांच अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की जांच एवं सत्यापन का कार्य आवेदन पत्र की प्राप्ति के अधिकतम 30 दिवस की अवधि के भीतर मूरा किया जाना आवश्यक है। जांच अधिकारी/सत्यापनकर्ता अधिकारी का निर्धारित

गांधी रोवा केन्द्र / मोबाइल ऐप के माध्यम से पेशन पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म में आवेदन करना होगा। आवेदक को जन आधार क्रमांक को उपलब्ध कराना/भरना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में आवेदन पत्र रवीकार्य नहीं होगा। जन आधार कार्ड में अंकित आवेदक का व्यक्तिगत विवरण, आवेदक के जनआधार से जुड़े आधार कार्ड रो वायोमैट्रिक सत्यापन के पश्चात पेशन आवेदन पत्र में रखतः ही अंकित हो जायेगा। उक्त आवेदन पत्र को वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत (Submit) करने पर पेशन पोर्टल पर बिना मानवीय हस्तक्षेप (without Human Intervention) आवेदक के जन आधार कार्ड में उपलब्ध विवरण (जनआधार डेटावेस में उपलब्ध सूचना) के आधार पर पात्र पाए जाने पर रखतः सत्यापन कर रखतः स्वीकृति जारी की जाएगी। आवेदन पत्र के स्वीकृति की सूचना आवेदक द्वारा जन आधार कार्ड के साथ उपलब्ध करवाए गए मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. (SMS) द्वारा दी जायेगी।

5.2 उक्त प्रक्रिया के तहत प्राप्त विभिन्न आवेदन पत्रों में से ऐसे आवेदन पत्र जिनका दिनांक 02.10.2021 के पश्चात जनाधार में परिवर्तन करवाया गया है ऐसे आवेदन पत्र सत्यापन कर्ता अधिकारी को अग्रेषित हो जायेंगे ऐसे आवेदन पत्रों को सत्यापन कर्ता अधिकारी सत्यापित अथवा निरस्त करना होगा। यदि 30 दिनों में उनके द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को सत्यापित अथवा निरस्त नहीं किया जाता है तो ऐसे आवेदन रखतः सत्यापित हो कर स्वीकृति कर्ता अधिकारी को अग्रेषित हो जाएंगे।

स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को आगामी 15 दिनों में स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाना होगा, अन्यथा ऐसे आवेदन रखतः स्वीकृत हो जाएंगे। रखतः स्वीकृत आवेदनों का भुगतान तब तक प्रारम्भ नहीं होगा जब तक कि पेशन स्वीकृति कर्ता अधिकारी द्वारा पोस्ट ऑफिट का कार्य पूर्ण नहीं कर लिया जाता है। यदि पेशन स्वीकृति के 45 दिनों में पोस्ट ऑफिट संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा नहीं

समयावधि-30 दिवस से 07 दिवस पूर्व **राजस्थान जन-आधार सिस्टम** से ई-रांचार के माध्यम से एस.एम.एस.- "(...नाम...) का आवेदन क्रमांक (.....) की जांच अवधि दिनांक (.....) को समाप्त हो रही है, उसके बाद यह आवेदन स्वतः सत्यापित होकर अग्रेषित हो जाएगा, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी"- द्वारा सन्देश भिजवाया जाकर विलम्बित आवेदन पत्रों को सत्यापित/जांच किये जाने हेतु सूचित किया जाएगा। यदि जांच अधिकारी/सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा नियमों में निर्धारित समयावधि (30 दिवस) में नियमानुसार वांछित कार्रवाई नहीं की जाती है तो ऐसा लम्बित आवेदन पत्र स्वतः ही जांच अधिकारी द्वारा "जांच किया गया"/"सत्यापित किया गया" माना जाकर rajssp पोर्टल सिस्टम से सम्बन्धित स्वीकृतकर्ता अधिकारी को स्वतः अग्रेषित हो जाएगा। ऐसे स्वतः अग्रेषित प्रकरणों में यदि किहीं अपात्र व्यक्तियों का आवेदन पत्र सत्यापित/जांच हो जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृत कर दी जाती है तो ऐसे पेंशन स्वीकृत किये जाने एवं भुगतान के प्रकरणों के लिए सम्बन्धित जांच अधिकारी/सत्यापनकर्ता अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। स्वतः अग्रेषित आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी को पृथक से प्रदर्शित होगे।

(v) ऑन-लाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी प्रत्येक आवेदन पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात या तो प्रारूप एस.एस.पी. I (SSP-I) के भाग III में पेंशन की स्वीकृति या दावे की अस्वीकृति सम्बन्धी आदेश वैब पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाइन पारित करेगा। स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृति के आदेश डिजीटल हस्ताक्षर अथवा आधार आधारित ई-हस्ताक्षर द्वारा इस हेतु बनाए गए आहरण एवं वितरण अधिकारी के नाम जारी किये जाएंगे। पेंशन दावा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होने की रिप्टिंग में स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर से आवेदक को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एस.एम.एस. (SMS) द्वारा सूचना प्रेषित की जाएगी। पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ऑन-लाइन स्वीकृति आदेश जारी किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा की

की जाती है तो पेंशनर को पेंशन राशि का भुगतान पेंशन स्वीकृति की दिनांक से प्रारम्भ कर दिया जाएगा। भविष्य में यदि ऐसा पेंशनर किसी कारण से अपात्र पाया जाता है तो इसके लिए संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

ऑनलाईन स्वीकृत होने वाले आवेदन पत्रों के सन्दर्भ में एक सिस्टम जनरेटेड स्वीकृति आदेश पेंशनर के जनाधार से जुड़े ई-वॉल्ट पर उपलब्ध होगा।

5.3 ऑनलाईन पेंशन स्वीकृति आदेश को ही पेंशन भुगतान आदेश माना जायेगा। उक्त पेंशन भुगतान आदेश को पेंशनर के जनाधार पर ई-वॉल्ट में संधारित किया जाएगा, जिसे पेंशनर के द्वारा किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। ऑनलाईन पेंशन स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी— अतिरिक्त निदेशक (पिंशन एवं पन्नाधाय), निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर द्वारा पेंशन भुगतान करने की कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी। पेंशन भुगतान आदेश जारी किये जाने अथवा पोस्ट ऑफिट पूर्ण होने (दोनों में से जो भी बाद में हो) पर पेंशनर को पेंशन भुगतान से सम्बन्धित कार्य राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2011 के तहत 30 दिवस की अवधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

## नियम 6 –पेंशन स्वीकृति

6.1 किसी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन पेंशन गुणावगुण के आधार पर देय होगी, जिसकी सिस्टम आधारित स्वतः स्वीकृति जारी होगी। उक्त सिस्टम आधारित स्वीकृत प्रकरणों को स्वीकृतिकर्ता अधिकारी पोस्ट ऑफिट के दौरान यदि उचित नहीं मानता है, उसमें निरस्तीकरण का कारण अभिलिखित करते हुए निरस्त करना होगा तथा जिन प्रकरणों में स्वीकृत पेंशन को निरस्त करने का निर्णय लिया जाता है, उसमें संबंधित व्यक्ति से इन नियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पेंशन स्वीकृति कर्ता अधिकारी द्वारा त्रस्ती भी की जाएगी।

RajKalyan  
7722150

आवेदक को पेंशन की स्वीकृति नियमानुसार ही जारी की गई है। स्वीकृतकर्ता अधिकारी लॉग—इन द्वारा ऑन—लाइन स्वीकृति जारी करने हेतु यूजर लॉग—इन या पासवर्ड का स्वयं उपयोग किया जाएगा तथा पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। यदि यूजर लॉग—इन या पासवर्ड का दुरुपयोग होता है तो पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी स्वयं उत्तरदाई होगा। पेंशनर एवं जांच अधिकारी को जारी की जाने वाली हार्डकॉफी ऑन—लाइन जारी स्वीकृति के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऑन—लाइन जारी स्वीकृति के आदेशों के सम्पूर्ण तथ्यों एवं उसके नियमानुसार शुद्धता का सम्पूर्ण दायित्व पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी का है।

**राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011** के तहत पेंशन दावा स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से सम्बन्धित कार्य 15 दिवस की अवधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

स्वीकृतकर्ता अधिकारी को निर्धारित अवधि 15 दिवस से 07 दिवस पूर्व एसएमएस— “(...नाम....) का आवेदन क्रमांक (.....) की स्वीकृत अवधि दिनांक (.....) को समाप्त हो रही है, उसके बाद यह आवेदन पत्र स्वतः ही स्वीकृत होकर भुगतान कार्रवाई हेतु अग्रेषित हो जाएगा, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी”— द्वारा संदेश भिजवाया जाकर विलम्बित आवेदन पत्रों को नियमानुसार स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किए जाने हेतु अवगत करवाया जाएगा। यदि स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा नियमों में निर्धारित अवधि (15 दिवस) में नियमानुसार वांछित कार्रवाई नहीं की जाती है तो ऐसे लम्बित आवेदन पत्र स्वतः ही स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किए गए/स्वीकृत किए गए, माना जाकर rajssp पोर्टल सिस्टम से सम्बन्धित **आहरण एवं वितरण अधिकारी** को पेंशन भुगतान की कार्रवाई हेतु अग्रेषित हो जाएगा। ऐसे स्वतः ऑन—लाइन जारी स्वीकृति के अग्रेषित प्रकरणों के सम्पूर्ण तथ्यों एवं उसके नियमानुसार शुद्धता का सम्पूर्ण दायित्व पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी का ही होगा। स्वतः स्वीकृत आवेदन पत्र **आहरण एवं वितरण अधिकारी** को पृथक से प्रदर्शित होगे।

6.2 यदि कोई पेंशनर, पेंशन पोर्टल द्वारा पेंशन अस्वीकृत किए जाने से असंतुष्ट है तो उसके द्वारा कभी भी तत्सम्बन्धी अपील सम्बन्धित जिला कलेक्टर को ऑन—लाइन की जा सकेगी। जिला कलेक्टर द्वारा ऐसी अपील का निस्तारण 15 दिवस में आवश्यक रूप से किया जाएगा। जिला कलेक्टर द्वारा अपील में किए गए निर्णय को आवश्यक समझे जाने पर गुणावगुण के आधार पर पुनरावलोकन (रिव्यू) का अधिकार राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को होगा। राज्य सरकार का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

6.3 यदि किसी पेंशनर के बैंक के नाम अथवा बैंक खाता संख्या अथवा उसके आई.एफ.एस.सी. (IFSC) कोड में त्रुटि होने के कारण आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पारित पेंशन बिल में बैंक द्वारा पेंशन भुगतान लौटा दिया जाता है, तो पेंशन पोर्टल पर भुगतान वापसी की दशा में ऐसे पेंशनर को पेंशन का भुगतान उस पेंशनर द्वारा राजस्थान जन—आधार पोर्टल पर तत्सम्बन्धी सूचना अद्यतन (Updated) करवाने एवं इस अद्यतन (Updated) सूचना के आधार पर पेंशन पोर्टल पर सूचना स्वतः अद्यतन (Updated) होने के उपरान्त किया जाएगा।

6.4 राज्य सरकार द्वारा आपवादिक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन, विहित शर्तों को शिथिल करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत की जा सकेगी।

### नियम 7 —पेंशन की वैधता

- 7.1 पेंशनर के जीवित रहने तक,
- 7.2 पेंशनर की स्वयं की वार्षिक आय 48,000/- रुपए से कम होने तक, (प्रतिवर्ष वार्षिक सत्यापन के समया घोषणा)
- 7.3 विधवा/परित्यक्ता/ तलाकशुदा के मामले में पुनर्विवाह ना करने तक,
- 7.4 परिवार के सदस्य यथा पति/पत्नी, पुत्र/पुत्रवधु या स्वयं का सरकारी सेवा में कार्यरत अथवा उनका पेंशनर न होने तक
- 7.5 Rajkaj Ref 7722150 पेंशनर के राजस्थान में निवास करने तक होगी।

- स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर पर स्वतः सत्यापित/स्वीकृत हुए आवेदन पत्र के अनुसार भुगतान किए गए पेंशन प्रकरणों की पोस्ट-ऑडिट/सत्यापन हेतु 60 दिवस का समय स्वीकृतकर्ता अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी) को प्रदत्त किया जाता है। इस अवधि में स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा स्वतः सत्यापित/स्वीकृत अग्रेषित होकर निस्तारित पेंशन भुगतान के प्रकरणों की जांच एवं जांच में भुगतान गलत/अनियमित पाए जाने पर ऐसे पेंशन प्रकरणों को निरस्त करते हुए, इन प्रकरणों में किए गए गलत भुगतान के संबंध में संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर अनियमित भुगतान की गई राशि की वसूली ऐसे अपात्र लाभार्थी से किए जाने की कार्रवाई की जा सकेगी।

- (vi) ऑन-लाइन पेंशन स्वीकृति आदेश को ही पेंशन भुगतान आदेश माना जाएगा। ऑन-लाइन पेंशन स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर सम्बन्धित **आहरण एवं वितरण अधिकारी** द्वारा पेंशन भुगतान करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। पेंशन भुगतान आदेश जारी किए जाने एवं पेंशनर को पेंशन भुगतान से सम्बन्धित कार्य राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2011 के तहत 45 दिवस की अवधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

- (y) यदि किसी पेंशनर के बैंक के नाम अथवा बैंक खाता संख्या अथवा उसके आई.एफ.एस.सी. (IFSC) कोड में त्रुटि होने के कारण आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पारित पेंशन बिल में से किसी पेंशनर/पेंशनर्स की राशि बैंक द्वारा लौटा दी जाती है, और पेंशन पोर्टल पर भुगतान वापसी दर्शाई जाती है तो इस दशा में ऐसे पेंशनर को पेंशन का भुगतान उस पेंशनर द्वारा राजस्थान जन-आधार पोर्टल पर तत्सम्बन्धी सूचना अद्यतन (Updated) करवाने एवं इस अद्यतन (Updated) सूचना के आधार पर Rajssp पोर्टल पर सूचना रखतः अद्यतन (Updated) होने के उपरान्त किया जाएगा।

#### **नियम-9. पेंशन की समाप्ति :-**

- (i) पेंशन, पेंशनर की मृत्यु की तारीख को समाप्त हो

**7.6 यदि पेंशन की पात्रता BPL है तो ऐसे प्रकरणों में परिवार के BPL रहने तक।**

#### **नियम 8 – पेंशन का प्रारम्भ**

- 8.1 पेंशन स्वीकृति जारी किए जाने के माह की प्रथम तारीख से संदेय होगी।

#### **नियम 9 –पेंशन की समाप्ति**

- 9.1.1 पेंशन, पेंशनर की मृत्यु की तारीख को समाप्त हो जाएगी। मृत्यु की तारीख तक देय पेंशन, जो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आहरित नहीं की गई है, व्यपगत हो जाएगी। पेंशनर की मृत्यु उपरान्त भुगतान की गई पेंशन राशि की वसूली की गणना पेंशनर की मृत्यु जिस माह में हुई है, उस Rajsp की प्रथम तारीख से की जाएगी।

7722150

<p>जाएगी। मृत्यु की तारीख तक देय पेंशन, जो <u>आहरण एवं वितरण अधिकारी</u> द्वारा आहरित नहीं की गई है, अथवा जिसका पेंशनर को भुगतान नहीं किया गया है, व्यपगत हो जाएगी।</p>	<p>सामाजिक सुरक्षा पेंशनर की मृत्यु की सूचना समय पर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पेंशनर के मृत्यु की दिनांक तक की पेंशन राशि का भुगतान पेंशनर के विधिक उत्तराधिकारी को किया जाएगा तथा मृत्यु की दिनांक के बाद की जमा पेंशन राशि बैंक द्वारा <u>आहरण एवं वितरण अधिकारी (अतिरिक्त निदेशक पेंशन एवं पन्नाधार्य)</u> सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर) अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी को लौटा दी जाएगी ताकि उनके द्वारा राजकोष में राशि जमा कराई जा सके।</p>
	<p>(ii) पेंशनर के राजस्थान से बाहर स्थाई या अरथाई रूप से प्रवास की दशा में पेंशन साधारणतः समाप्त (बन्द) हो जाएगी। पेंशनर के राजस्थान लौटने पर <u>सम्बन्धित स्वीकृतकर्ता अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी)</u> के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ऐसे पेंशनर्स का ऑन-लाइन भौतिक सत्यापन के उपरान्त उन पेंशनर्स के भौतिक सत्यापन की तारीख से पेंशन का संदाय करने हेतु प्रकरण आहरण-वितरण अधिकारी का प्रेषित किया जाएगा। तदुपरान्त भौतिक सत्यापन की तारीख से पुनः पेंशन का संदाय पुनः प्रारम्भ किया जा सकेगा, लेकिन उसके राजस्थान से बाहर रहने की अवधि के लिए प्रोद्भूत पेंशन की बकाया राशि संदेय नहीं होगी।</p>
	<p>9.1.2 सामाजिक सुरक्षा पेंशनर की मृत्यु की सूचना समय पर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पेंशनर के मृत्यु की दिनांक तक की आहरित पेंशन राशि जो पेंशनर के बैंक खाते में जमा हो चुकी है, का भुगतान पेंशनर के विधिक उत्तराधिकारी को किया जाएगा तथा मृत्यु की दिनांक के बाद की जमा पेंशन राशि बैंक द्वारा <u>आहरण एवं वितरण अधिकारी (अतिरिक्त निदेशक पेंशन एवं पन्नाधार्य)</u> सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर) अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी को लौटा दी जाएगी ताकि उनके द्वारा राजकोष में राशि जमा कराई जा सके।</p>
	<p>9.1.3 पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में पेंशन निरस्तीकरण आदेश संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा जिसमें पेंशनर द्वारा जमा करवाई जाने वाली राशि (यदि कोई है तो) भी अंकित होगी।</p>
	<p>9.2 पेंशनर के राजस्थान से बाहर स्थाई या अरथाई रूप से प्रवास की दशा में पेंशन साधारणतः समाप्त (बन्द) हो जाएगी। पेंशनर के राजस्थान लौटने पर <u>सम्बन्धित स्वीकृतकर्ता अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी)</u> के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ऐसे पेंशनर्स का ऑन-लाइन भौतिक सत्यापन के उपरान्त उन पेंशनर्स के भौतिक सत्यापन की तारीख से पेंशन का संदाय करने हेतु प्रकरण आहरण-वितरण अधिकारी का प्रेषित किया जाएगा। तदुपरान्त भौतिक सत्यापन की तारीख से पुनः पेंशन का संदाय पुनः प्रारम्भ किया जा सकेगा, लेकिन उसके राजस्थान से बाहर रहने की अवधि के लिए प्रोद्भूत पेंशन की बकाया राशि संदेय नहीं होगी।</p>
	<p>9.3.1 यदि किसी जनआधार परिवार के तीन सदस्यों से अधिक द्वारा पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में तीसरे एवं उससे बाद वाले सदस्यों की पेंशन स्वतः स्वीकृत नहीं होकर संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी को प्रदर्शित होगी उनके द्वारा 30 दिवस में जांच कर ऐसे आवेदन पत्रों को सत्यापित अथवा निरस्ता लिया जाएगा अन्यथा ऐसे आवेदन पत्र स्वतः</p>

सत्यापित हो जाएंगे।

9.3.2 तत्पश्चात् संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को 15 दिवस में ऐसे आवेदन पत्रों को स्वीकृत अथवा निरस्त करना होगा अन्यथा ऐसे आवेदन पत्र स्वतः स्वीकृत हो जाएंगे।

9.3.3 स्वतः सत्यापित एवं स्वीकृत आवेदन पत्रों के लिए संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी अथवा स्वीकृतिकर्ता अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

#### नियम 10 –पेंशन की बकाया का संदाय

नियम–10. पेंशन की बकाया का संदाय :—

(क) यदि पेंशन की राशि तीन वर्ष से अधिक की अवधि तक आहरित नहीं की जाती है तो पेंशन राशि की कोई बकाया का भुगतान संदेय नहीं होगा तथापि, ऐसे मामलों में सम्बन्धित स्वीकृतकर्ता अधिकारी पेंशन संदाय आदेश को नवीनीकृत करने के लिये सक्षम होगा।

तीन वर्ष से अधिक की अवधि के पात्र पेंशन प्रकरण जिला कलक्टर द्वारा गुणावगुण के आधार पर कारण अंकित कर स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्रकरण निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित किए जाएंगे जिन पर निदेशालय से अनुमति प्राप्त कर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा बकाया पेंशन राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

(ख) ऐसे मामलों में जहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि तीन वर्ष तक की अवधि तक आहरित नहीं की जाती है, वहां नियम 9 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए सम्बन्धित आहरण अधिकारी तीन वर्ष तक की अवधि की बकाया पेंशन राशि के संदाय के आदेश पारित करने के लिये सक्षम होंगे।

नियम–11. अपील अधिकारी :— स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी) के द्वारा पेंशन का दावा अस्वीकार करने संबंधी आदेश के विरुद्ध अपील संबंधित जिला कलक्टर को की जाएगी। अपील स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के

#### नियम 11 –अपील अधिकारी

11.1 ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पोस्ट ऑफिट के दौरान पेंशन को निरस्त करने पर संबंधित पेंशनर द्वारा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन अपील संबंधित जिला कलेक्टर को की जाएगी। यह अपील पेंशनर द्वारा पेंशन निरस्त होने के 90 दिवस की अवधि में की जा सकती है। 90 दिवस की अवधि के पश्चात् अपील मान्य नहीं होगी। जिला कलेक्टर द्वारा ऑनलाइन अपील पर 15 दिवस में निर्णय किया जाएगा। अपीलीय अधिकारी Raikai Ref. No. 7722150 पेंशन प्रकरणों के स्वीकृति योग्य होने के

सूचना पट्ट पर प्रदर्शित होने की दिनांक से दो माह के भीतर की जानी चाहिए। जिला कलक्टर द्वारा अपील में किए गए निर्णय को आवश्यक समझे जाने पर गुणावगुण के आधार पर पुनरावलोकन (रिव्यू) का अधिकार राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को होगा। राज्य सरकार का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

निर्णय के उपरांत उन्हें ऑनलाइन स्वीकृत किया जाएगा। इन अपीलार्थी को पेंशन हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

- 11.2 जिला कलेक्टर द्वारा अपील में किए गए निर्णय को आवश्यक समझे जाने पर गुणावगुण के आधार पर पुनरावलोकन (रिव्यू) का अधिकार राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को होगा। राज्य सरकार का निर्णय अंतिम माना जाएगा। ऑनलाइन अपील खारिज होने की दशा में अपीलार्थी द्वारा पुनः आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा तथा उक्त 90 दिवस की अवधि में अपील नहीं किए जाने पर उस व्यक्ति द्वारा उक्त 90 दिवस पश्चात् पुनः पेंशन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

## नियम 12 –वार्षिक सत्यापन

### नियम–12 वार्षिक सत्यापन :-

सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु जीवन प्रमाण–पत्र की प्रक्रिया के सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों के अतिक्रमण में नई प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

1. सामाजिक सुरक्षा पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन प्रति वर्ष माह दिसम्बर में 31 दिसम्बर तक आवश्यक रूप से किया जाएगा।
2. यदि किसी पेंशनर की पेंशन प्रथम बार इस अवधि से तीन माह के भीतर स्वीकृत की गई है तो उसका वार्षिक भौतिक सत्यापन आगामी वर्ष 31 दिसम्बर तक आवश्यक रूप से किया जाएगा।
3. समस्त पेंशनरों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला कलक्टर्स के द्वारा प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया से प्रेस–विज्ञप्ति एवं

12.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु जीवन प्रमाण–पत्र की प्रक्रिया के सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों के अतिक्रमण में नई प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है (परिपत्र संख्या एफ.09 (05) (12-II) वार्षिक भौतिक सत्यापन/सान्यांवि/ 2014–15 / 875 दिनांक 1.11.2022; परिपत्र संख्या एफ.09 (05) (12-II) वार्षिक भौतिक सत्यापन/सान्यांवि/ 2014–15 / 2559–68 दिनांक 21.12.2022 एवं मोबाइल एप्प संबंधी आदेश – एफ.9(05)(14)पेंशन पोर्टल/सान्यांवि/ 2021–22 / 710 दिनांक 14.02.2023) :–

12.1.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन प्रति वर्ष माह 01 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक आवश्यक रूप से करवाना होगा।

12.1.2 यदि किसी पेंशनर की पेंशन प्रथम बार इस अवधि से तीन माह के भीतर स्वीकृत की गई है तो उसका वार्षिक भौतिक सत्यापन आगामी वर्ष 31 दिसम्बर तक आवश्यक रूप से करवाना होगा।

12.1.3 समस्त पेंशनरों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला RajKaj Reकलक्टर्स के द्वारा प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक 7722150

<p>प्रचार का उपयोग किया जाएगा तथा भौतिक सत्यापनकर्ता अधिकारियों के पास यदि पेंशनर्स के मोबाईल/फोन नम्बर उपलब्ध है तो उन्हें भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में जानकारी एस.एम.एस. के माध्यम से भी प्रेषित की जाएगी।</p>	<p>मीडिया से प्रेस-विज्ञप्ति एवं प्रचार का उपयोग किया जाएगा तथा पेंशनर्स के मोबाईल/फोन नम्बर पर भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में जानकारी एस.एम.एस. के माध्यम से भी प्रेषित की जाएगी।</p>
<p>4. पेंशनधारक द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु ई-मित्र कियोस्क/राजीव गांधी सेवा केन्द्र/ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप (Finger Print Impression) बायोमैट्रिक्स से करवाया जा सकेगा।</p>	<p>12.1.4 पेंशनधारक द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु ई-मित्र कियोस्क/राजीव गांधी सेवा केन्द्र/ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप (Finger Print Impression) बायोमैट्रिक्स से करवाया जा सकेगा।</p>
<p>5. अंगुली की छाप (Finger Print Impression) सत्यापन होने में कोई कठिनाई आने पर पेंशनर के आधार/जनाधार में रजिस्ट्रेट मोबाईल पर एकबारीय पॉसवर्ड (One time Password-OTP) के माध्यम से भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा।</p>	<p>12.1.5 वैकल्पिक रूप से पेंशनर मोबाईल ऐप फेस रिकाग्निशन के माध्यम से भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा।</p>
<p>6. बिन्दु संख्या 02 एवं 03 में उल्लेखित दोनों प्रक्रियाओं में से किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में कियोस्कधारक द्वारा उस पेंशनर की वेब केमरा से फोटो लेने के बाद उस पेंशनर के अप्रमाणित डेटा पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) को भिजवाया जाएगा। ऐसे मामलों में पेंशनर के पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी पेंशनर की उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर डेटा प्रमाणित करेगा। इसके पश्चात उस पेंशनर की वार्षिक भौतिक सत्यापन की कार्यवाही को पूर्ण माना जाएगा और डेटा में भी चिह्नित किया जाएगा।</p>	<p>12.1.6 उपरोक्त उल्लेखित दोनों प्रक्रियाओं में से किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी कार्यालय में पेंशनर के आधार से जुड़े मोबाईल नम्बर पर ओटीपी (OTP) के माध्यम से पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जायेगा।</p>
<p>7. उपर्युक्तानुसार वर्णित प्रक्रियाओं में से किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन प्रति वर्ष माह नवम्बर से माह दिसम्बर तक (31 दिसम्बर तक) (दो माह) की अवधि में किया जाएगा।</p>	<p>12.1.7 उपर्युक्तानुसार वर्णित प्रक्रियाओं में से किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन प्रति वर्ष माह नवम्बर से माह दिसम्बर तक (31 दिसम्बर तक) (दो माह) की अवधि में किया जाएगा।</p>
<p>8. यदि इस अवधि में (प्रति वर्ष माह नवम्बर-दिसम्बर में) किसी पेंशनर द्वारा जनाधार से</p>	<p>12.1.8 ऐसे पेंशनर जो अत्याधिक वृद्धावस्था, शारीरिक अस्वस्थता (Physical incapacity) अथवा जानकारी के अभाव में निर्धारित अवधि में वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवा पाए हो, तो स्वीकृतकर्ता अधिकारी को दायित्व होगा की वार्षिक सत्यापन हेतु उक्त निर्धारित अवधि (दो</p>

RajKai Re  
7722150

<p>जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ बायोमैट्रिक्स अथवा एकबारीय पॉसवर्ड (One time Password-OTP) के माध्यम से लिया गया हो (यथा—राशन, चिकित्सा बीमा योजना आदि) तो ऐसे पेंशनर को पृथक से भौतिक सत्यापन करवाने की आवश्यता नहीं है।</p>	<p>माह) के पश्चात अगले एक माह में ऐसे पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय सत्यापन अधिकारी (Field Verification officer) के द्वारा मोबाइल के माध्यम से आवश्यक रूप से करवाया जाएगा।</p>
<p>9. ऐसे पेंशनर जो अत्याधिक वृद्धावस्था, शारीरिक अस्वस्थता (Physical in Capacity) अथवा जानकारी के अभाव में निर्धारित अवधि में वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवा पाए हो, तो स्वीकृतकर्ता अधिकारी को दायित्व होंगा की वार्षिक सत्यापन हेतु उक्त निर्धारित अवधि (दो माह) के पश्चात अगले एक माह में ऐसे पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय सत्यापन अधिकारी (Field Verification officer) के माध्यम से आवश्यक रूप से करवाया जाएगा।</p>	<p>12.1.9 प्रति वर्ष दिसम्बर माह के उपरान्त जिन पेंशनर का भौतिक सत्यापन नहीं होता है उनकी पेंशन राशि का भुगतान रोक दिया जाएगा। अतः क्षेत्रीय भौतिक सत्यापन अधिकारियों (उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी) का दायित्व होगा की वे निर्धारित अवधि में सभी पेंशनर का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करे। किसी भी पेंशनर के विद्यमान होने एवं पात्र होने के उपरान्त भी भौतिक सत्यापन के अभाव में पेंशन राशि का भुगतान रोके जाने की स्थिति में सम्बन्धित भौतिक सत्यापनकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होंगे।</p>
<p>10. प्रति वर्ष दिसम्बर माह के उपरान्त जिन पेंशनर का भौतिक सत्यापन नहीं होता है उनकी पेंशन राशि का भुगतान रोक दिया जाएगा। अतः क्षेत्रीय भौतिक सत्यापन अधिकारियों (उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी) का दायित्व होंगा की वे निर्धारित अवधि में सभी पेंशनर का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करे। किसी भी पेंशनर के विद्यमान होने एवं पात्र होने के उपरान्त भी भौतिक सत्यापन के अभाव में पेंशन राशि का भुगतान रोके जाने की स्थिति में सम्बन्धित भौतिक सत्यापनकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।</p>	<p>12.1.10 उपर्युक्तानुसार भौतिक सत्यापन पश्चात जो पेंशन हेतु पात्र नहीं पाए जाए अथवा जिन पेंशनर की मृत्यु हो गई हो उनके नाम पेंशनर की मृत्यु हो गई हो उनके नाम पेंशन स्वीकृति कर्ता अधिकारी द्वारा उनके पेंशन स्वीकृति आदेश को निरस्त किया जाकर पेंशनर्स की ऑनलाईन सूची से हटाया जाएगा, साथ ही पेंशनर के अपात्र रहने की अवधि का यदि पेंशन राशि का भुगतान किया गया है उसकी वसूली कर राजकोष में राशि जमा करवाई जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा की समस्त पात्र पेंशनर्स को निर्बाध रूप से निर्धारित अवधि में पेंशन राशि प्राप्त हो।</p>
<p>उपर्युक्तानुसार भौतिक सत्यापन पश्चात जो पेंशन हेतु पात्र नहीं पाए जाए अथवा जिन पेंशनर की मृत्यु हो गई हो उनके नाम पेंशनर्स की ऑनलाईन सूची से हटाया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा की समस्त पात्र पेंशनर्स को निर्बाध रूप से निर्धारित अवधि में पेंशन राशि प्राप्त हो।</p>	<p>12.1.11 जिन पेंशनर्स की आधार एवं जनाधार संख्या उनकी पेंशन से नहीं जुड़ी हुई है, उनके लिए सभी स्वीकृतकर्ता अधिकारियों के द्वारा किसी भी पेंशनर्स की आधार संख्या को जनआधार पोर्टल के माध्यम से उनकी पेंशन डाटा में अपडेट किया जाएगा।</p>

RajKaj Re  
7722150

**नियम-13.** पेंशनर की मृत्यु की सूचना :- पेंशनर की मृत्यु हो जाने की रिति में पटवारी/ग्राम पंचायत/नगर निकाय के प्राधिकारी अथवा पोस्ट ऑफिस/बैंक सम्बन्धित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी) को रिपोर्ट भिजवाएगे, जिसमें पेंशनर का नाम, पता, पीपीओ संख्या मृत्यु की दिनांक आदि की सूचना हो। यह सूचना प्राप्त होने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा पोर्टल के माध्यम से इसे ऑन-लाइन आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। सूचना का संधारण पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाइन किया जाएगा।

#### 14. कलेक्टर और कोषाधिकारी द्वारा निरीक्षण :-

- (i) जिले का निरीक्षण करते समय जिला कलेक्टर नियमित रूप से अपने जिले के सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान की नमूना जांच करेंगे। पेंशन भुगतान से संबंधित Tracking Reports एवं Exception Reports की प्रभावी मोनिटरिंग करेंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उनके द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई कर निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सूचित किया जाएगा।
- (ii) उप-कोषागार का निरीक्षण करते समय कोषाधिकारी द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नियमित भुगतान से संबंधित Tracking Reports एवं Exception Reports की प्रभावी मोनिटरिंग की जाएगी तथा पेंशन की स्वीकृति एवं भुगतान के संबंध में ध्यान में आने वाली किसी भी अनियमितता की सूचना तुरन्त जिला कलेक्टर एवं निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं

#### नियम 13 –पेंशनर की मृत्यु की सूचना

- 13.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल को जनआधार पोर्टल एवं पहचान पोर्टल से जोड़कर पेंशनर की मृत्यु होने की सूचना ऑनलाइन पेंशन पोर्टल पर अद्यतन की जाएगी, तथा ऐसे पेंशनर की पेंशन को अद्यतन सूचना के आधार पर पेंशन पोर्टल द्वारा स्वतः ही निरस्त किया जाएगा।
- 13.2 ऐसे पेंशनर जिनका आधार/जनआधार संख्या पहचान पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, की मृत्यु हो जाने की रिति में पटवारी/ग्राम पंचायत/नगर निकाय के प्राधिकारी अथवा पोस्ट ऑफिस/बैंक सम्बन्धित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी को रिपोर्ट भिजवाएगे, जिसमें पेंशनर का नाम, पता, पीपीओ संख्या मृत्यु की दिनांक आदि की सूचना हो। यह सूचना प्राप्त होने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा पोर्टल के माध्यम से पेंशन को ऑन-लाइन निरस्त किया जाएगा।

#### नियम 14 –जिला कलेक्टर द्वारा निरीक्षण

- 14.1 जिले का निरीक्षण करते समय जिला कलेक्टर नियमित रूप से अपने जिले के सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान की नमूना जांच करेंगे। पेंशन भुगतान से संबंधित Tracking Reports एवं Exception Reports की प्रभावी मोनिटरिंग करेंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उनके द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई कर निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सूचित किया जाएगा।
- 14.2 पेंशन स्वीकृति कर्ता अधिकारी उनके क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान की नमूना जांच करेंगे। पेंशन भुगतान से संबंधित Tracking Reports एवं Exception Reports की प्रभावी मोनिटरिंग करेंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उनके द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई कर निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सूचित किया जाएगा।
- 14.3 जिले में पदस्थापित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान की नमूना जांच करेंगे। पेंशन स्वीकृति से संबंधित Tracking Reports एवं

अधिकारिता विभाग को प्रेषित की जाएगी।	Exception Reports की प्रभावी मोनिटरिंग करेंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उनके द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई कर निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सूचित किया जाएगा।
नियम 15 –सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकार करने पर वर्जन (रोक):-	नियम 15 –सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकार करने पर वर्जन (रोक):-
15.1 उन व्यक्तियों को जिनको कि इन नियमों के अधीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत की गई है, राज्य की संचित निधि में से जैसे देवस्थान निधि, मंत्रियों आदि के स्वविवेकाधीन रखे गये अनुदान से, किसी प्रकार की पेंशन या निर्वाह भत्ता या अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की जाएगी। तथापि, इन नियमों के द्वारा शासित होने वाले व्यक्ति यदि देवस्थान निधि या अन्य स्रोत से पहले से ही पेंशन प्राप्त कर रहे हों, तो वे उन्हें पूर्ववत् प्राप्त करते रहेंगे।	15.1 उन व्यक्तियों को जिनको कि इन नियमों के अधीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत की गई है, राज्य की संचित निधि में से जैसे देवस्थान निधि, मंत्रियों आदि के स्वविवेकाधीन रखे गये अनुदान से, किसी प्रकार की पेंशन या निर्वाह भत्ता या अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की जाएगी। तथापि, इन नियमों के द्वारा शासित होने वाले व्यक्ति यदि देवस्थान निधि या अन्य स्रोत से पहले से ही पेंशन प्राप्त कर रहे हों, तो वे उन्हें पूर्ववत् प्राप्त करते रहेंगे।
अध्याय – 5 सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान की प्रक्रिया	अध्याय – 5 सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान की प्रक्रिया
(i) निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर में पदस्थापित अतिरिक्त निदेशक (पेंशन एवं पन्नाधाय) अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर के अन्य प्राधिकारी, पेंशन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी होंगे।	निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर में पदस्थापित अतिरिक्त निदेशक (पेंशन एवं पन्नाधाय) अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर के अन्य प्राधिकारी, पेंशन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी होंगे। (आदेश क्रमांक एफ.9(5)( सासुपे/सान्याअवि/2017–18/पार्ट फाइल/ 439–546 दिनांक 30.4.2020)
(ii) पेंशन भुगतान हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पेंशनर को पेंशन, मनीऑर्डर या बैंक/पोस्ट ऑफिस बचत खाते/सरकार द्वारा विहित अन्य किसी उपयुक्त माध्यम से भेजी जाएगी। मनीऑर्डर का कमीशन पेंशन की रकम में से नहीं काटा जाएगा।	पेंशन भुगतान हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पेंशनर को पेंशन, मनीऑर्डर या बैंक/पोस्ट ऑफिस बचत खाते/सरकार द्वारा विहित अन्य किसी उपयुक्त माध्यम से भेजी जाएगी। मनीऑर्डर का कमीशन पेंशन की रकम में से नहीं काटा जाएगा।

<p>से भेजी जाएगी। मनीऑर्डर का कमीशन पेंशन की रकम में से नहीं काटा जाएगा।</p>	<p>स्वीकृति जारी किए जाने के माह की प्रथम तारीख से संदेय होगी।</p>
<p>(III) जिस माह में पेंशन स्वीकृत की जाती है, उसके स्वीकृत किए जाने के उपरान्त सम्बन्धित माह की पेंशन, माह के समाप्त होने के पश्चात आगामी माह की एक तारीख को देय होगी।</p>	<p>16.3.2 मनीऑर्डर लौट आने पर पेंशन का भुगतान मनीऑर्डर के माध्यम से पेंशनर द्वारा पेंशन स्वीकृति की प्रति लेकर संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर किया जा सकेगा।</p>
<p>मनीऑर्डर से पेंशन भुगतान के मामलों में मनीऑर्डर रसीद यथासंभव प्राप्त कर रखी जाएगी। मनीऑर्डर लौट आने पर पेंशन का भुगतान पेंशनर द्वारा पेंशन स्वीकृति की प्रति लेकर संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर किया जा सकेगा।</p>	<p>16.3.3 इसी प्रकार किसी पेंशनर के बैंक खाते की संख्या गलत अंकित होने अथवा किसी अन्य तकनीकी कारणों से पेंशन राशि उसके बैंक खाते में जमा नहीं होने पर उस बैंक द्वारा पेंशन राशि को चैक द्वारा निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता विभाग, जयपुर को लौटाए जाने पर पेंशनर द्वारा अपने जनआधार विवरण में बैंक खाता अद्यतन करवाने पर पेंशन में भी संबंधित का बैंक खाता स्वतः अद्यतन हो जाएगा, तथा बकाया सहित पेंशन भुगतान किया जा सकेगा।</p>
<p>इसी प्रकार किसी पेंशनर के बैंक खाते की संख्या गलत अंकित होने अथवा किसी अन्य तकनीकी कारणों से पेंशन राशि उसके बैंक खाते में जमा नहीं होने पर उस बैंक द्वारा पेंशन राशि को चैक द्वारा प्राधिकृत कोषालय को लौटाए जाने पर पेंशनर द्वारा पेंशन स्वीकृति की प्रति लेकर संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर पेंशन राशि का भुगतान किया जा सकेगा।</p>	<p>उक्त प्रकरणों में संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी अपनी अभिशंसा के साथ पेंशन प्राप्त करने हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी को ऑन-लाइन अग्रेशित करेगा।</p>
<p>(iv) अगर पेंशनर शारीरिक व मानसिक परिस्थितिवश पेंशन स्वयं प्राप्त करने में असमर्थ है तो पेंशन का भुगतान उसके संरक्षक को किया जागा। संरक्षक की नियुक्ति सम्बन्धित जिला कलेक्टर करेंगे। संरक्षक की नियुक्ति सम्बन्धित जिला कलेक्टर करेंगे। संरक्षक की नियुक्ति के लिये पेंशनर को प्रार्थना पत्र पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित जिला कलेक्टर को देना होगा। पेंशन स्वीकृति से पूर्व उस अभिभावक द्वारा एक बंध-पत्र निष्पादित किया जाएगा कि वह आवेदक का भरण-पोषण करता रहेगा। पेंशन की स्वीकृति के पूर्व संरक्षक को निम्नलिखित इकरारनामा भरकर देना होगा:-</p>	<p>“मैं नाम ..... पुत्र ..... निवासी</p>
<p>..... जिला ..... स्वीकार करता हूँ कि ..... (नाम पेंशन पाने वाले का) को जो राज्य सरकार से पेंशन स्वीकृत होगी, उस राशि से मैं उसका पालन पोषण करूँगा।”</p>	<p>जिला ..... स्वीकार करता हूँ कि ..... (नाम पेंशन पाने वाले का) को जो राज्य सरकार से पेंशन स्वीकृत होगी, उस राशि से मैं उसका पालन पोषण करूँगा।”</p>
<p>दिनांक ..... हस्ताक्षर संरक्षक</p>	<p>दिनांक ..... हस्ताक्षर</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>

16.5.1 नियमित पेंशन राशि का भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह किया जाएगा।

16.5.2 जिन स्थानों पर अभी भी विजनैस-कॉरेसपोडेण्ट्स RajKai Ref. 77/2015 के माध्यम से 2-3 किलोमीटर में पेंशनर को

(v) 'नियमित पेंशन राशि का भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यथासंभव प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक किया जाएगा।

जिन स्थानों पर अभी भी बिजनैस-कॉरेसपोंडेण्ट्स (बीसी) के माध्यम से 2-3 किलोमीटर में पेंशनर को बैंकिंग सुविधा का कवरेज उपलब्ध नहीं है वहाँ जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी (DLBC) में विचार-विमर्श कर बिजनैस-कॉरेसपोंडेण्ट्स (बीसी) की नियुक्ति करवाई जाएगी।

जिला कलेक्टर द्वारा प्रतिमाह प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर निर्धारित तारीख पर संबंधित बैंकों के प्रतिनिधि/बिजनैस-कॉरेसपोंडेण्ट्स (बीसी) की उपस्थिति सुनिश्चित करवाई जाकर पेंशन आहरण शिविरों का आयोजन किया जाएगा जिससे पेंशनर्स अपनी सुविधानुसार अपनी पेंशन राशि को बैंक खाते से आहरित कर सकें।

बैंकिंग सुविधा का कवरेज उपलब्ध नहीं है वहाँ जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी (DLBC) में विचार-विमर्श कर बिजनैस-कॉरेसपोंडेण्ट्स (बीसी) की नियुक्ति करवाई जाएगी।

16.5.3 जिला कलेक्टर द्वारा प्रतिमाह प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर निर्धारित तारीख पर संबंधित बैंकों के प्रतिनिधि/बिजनैस-कॉरेसपोंडेण्ट्स (बीसी) की उपस्थिति सुनिश्चित करवाई जाकर पेंशन आहरण शिविरों का आयोजन किया जाएगा जिससे पेंशनर्स अपनी सुविधानुसार अपनी पेंशन राशि को बैंक खाते से आहरित कर सकें।

16.6 यदि पेंशनर निरक्षक हो तो किसी साक्षर साक्षी की उपस्थिति में जो मनीऑर्डर रसीद पर उसके हस्ताक्षरों को, प्रमाणित करेगा, मनीऑर्डर की रसीद पर पेंशनर के अंगठे के निशान लगवाए जाएंगे।

16.7 पेंशन के संदाय, लेखा आदि (हिसाब-किताब) के रखे जाने के बारे में विस्तृत अनुदेश इन नियमों के परिशिष्ट—"क" के अन्तर्विष्ट है।

## नियम 17 पेंशन की वसूली :-

17. राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन योजनाओं में लाभार्थियों का हुए अधिक/अनियमित पेंशन राशि के भुगतान तथा अपात्र व्यक्तियों को हुए पेंशन भुगतान की वसूली के संबंध में निम्न प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं:-

17.1 स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा पेंशनधारी को हुए अधिक/अनियमित भुगतान की गणना कर वसूली योग्य राशि तय करेंगे।

17.2 जिन व्यक्तियों को गलत/अपात्र/अनियमित/अधिक रूप से पेंशन राशि का भुगतान किया गया है, उनसे उस सम्पूर्ण राशि की 18% ब्याज सहित वसूली स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा की जाकर उक्त राशि आहरण एवं वितरण अधिकारी (अतिरिक्त निदेशक (पेंशन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर) को लौटाई जाएगी।

17.3 यदि संबंधित पेंशनधारी अभी भी योजना के नियमों के अन्तर्गत पात्र है, तो उसे तब तक पेंशन भुगतान रोक दिया जावे जब तक उसे दी गई अनियमित राशि वसूल नहीं की जाती।

17.4 यदि पेंशनधारी वर्तमान में पेंशन योजना नियमों के अन्तर्गत पेंशन हेतु पात्र नहीं है एवं वसूली योग्य राशि

7722150

जमा नहीं कराने पर उस पर नियमानुसार पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

### निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक :-एफ.9(05)(12-II)सासुपे/पेंशन नियम/सान्ध्यावि/2014-15/8543-651

जयपुर दिनांक :- 05-06-24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर को अपने अधीनस्थ संबंधित विकास अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
4. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त (समस्त)/जिला कलक्टर (समस्त) को अपने अधीनस्थ संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर को अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित जिला कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारियों को सूचित करने हेतु।
8. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (आईटी), एनआईसी, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (आई टी), कप्यूटर शाखा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर को विभागीय वैबसाइट पर अद्यतन करवाने हेतु।
10. समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
11. आदेश पत्रावली।

### निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

RajKaj Ref  
7722150

Document certified by GHANENDRA BHAN  
CHATURVEDI <STOICJPR@YAHOO.CO.IN>

Digitally Signed by  
Ghanendra Bhan Chaturvedi  
Designation : Director  
Date :04-06-2024 03:11:37